न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–357/2026

दयानन्द प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य

26.05.2026 आवेदक/अभियुक्त **दयानन्द प्रसाद सिंह बल्द अमरेन्द्र सिंह,** जो चण्डी थाना काण्ड सं–179/2022 (अन्तर्गत धारा–420,468,120(बी)/34 भा0द0वि0) में अभियुक्त है व जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध इस केस के अलावे दो अन्य मुकदमा दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक निर्दोष है, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का जालसाजी अथवा धोखाधड़ी नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा पूर्णतः जांच कर शुद्ध सोने का जेवरात देकर ऋण प्राप्त किया गया है लेकिन फाईनेन्स कंपनी के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी कर आवेदक को परेशान किया जा रहा है। इन तर्को के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–420,468,120(बी)/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संदर्भ में यद्यपि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि आवेदक अभियुक्त आशीर्वाद गोल्ड लोन माइको फाइनेन्स लिमिटेड में सोना गिरवी रखकर 289417रू0 ऋण लिये, किन्तु बाद में जांचोपरान्त सोना खराब पाया गया, किन्तु इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं अनुसंधान के क्रम में आवेदक अभियुक्त को बी.एन.एस.एस. की धारा–35(3) के तहत नोटिस तामिला कराकर बन्धपत्र पर मुक्त किया जा चुका है एवं इस बन्धपत्र की शर्तो के उल्लंघन का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को 10000रू0 एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं तथा धारा–438(2) द.प्र.स. के विहित शर्तो के साथ आदेश की तिथि से 28 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने पर जमानत बन्धपत्र दाखिल किये जाने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Pandey

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा